

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 295 / उधान / नि0सू0 / 2025-26

दिनांक 27-8-25

ई-निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा उधान अनुभाग में दक्ष अनुभवी फर्मों से 16 कार्यों हेतु 2 बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदा ऑफ लाईन (टेन्डर बोक्स) के माध्यम से निविदा दिनांक 18-9-2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों की निविदा उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। विस्तृत विवरण mddaonline.in की वैबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त कार्य की पहले तकनीकी बिड जो उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओं की वित्त बिड बाद में खोली जायेगी, जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं को भेजी जायेगी। आगणन में अंकित बिडिटियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य की माप /आगणन के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक फर्म द्वारा नीचे वर्णित 16 कार्यों हेतु धरोहर राशि अधिशासी अभियन्ता के नाम बन्धक हो एवं निविदा का शुल्क मय जी0एस0टी0 सहित की धनराशि का पे आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के उधान अनुभाग में अनिवार्य रूप से दिनांक 18-9-2025 को 02 बजे तक जमा करनी होगी। अन्य शर्तें जी0पी0डब्ल्यू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंस सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी सशोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7-75 (सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं 0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखमें)मय GST सहित	निविदा शुल्क	धरोहर राशि रू0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता
1	माया एन्क्लेव में पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	24.59	2360.00	73,800.00	02 माह	90 दिन
2	साई लोक कॉलोनी जी0एम0एस0 रोड में पार्को का सौन्दर्यीकरण/लैण्डसकेपिंग का कार्य।	24.40	2360.00	73,200.00	02 माह	90 दिन
3	बलबीर रोड बी0जे0पी0 कार्यालय के निकट पार्क (फ़ेस-2)में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	24.01	2360.00	72100.00	02 माह	90 दिन
4	कैनाल रोड देहरादून स्थित एकता अवन्यू पार्क में लैण्डसकेप/आरबोरीकल्चर का कार्य।	23.14	2360.00	70,000.00	02 माह	90 दिन
5	अजबपुर खुर्द में रेलवे फाटक के निकट पार्क में सौन्दर्यीकरण का कार्य	22.10	2360.00	66,300.00	02 माह	90 दिन
6	नेहरु कालोनी चौक से राजीव नगर पुल तक सौन्दर्यीकरण का कार्य।	21.30	2360.00	63900.00	02 माह	90 दिन
7	अशोक पार्क निकट निरंजनपुर मण्डी में पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	21.20	2360.00	63,600.00	02 माह	90 दिन
8	सहस्त्रधारा रोड पर कुल्हान पार्क के रखरखाव का कार्य।	12.00	1770.00	36,000.00	02 माह	90 दिन
09	सरवस्ती बिहार अघोईवाला रायपुर रोड पार्क संख्या 01 में सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार का कार्य।	24.20	2360.00	72,600.00	02 माह	90 दिन
10	आई0एस0बी0टी0 परिसर में महाराणा प्रताप पार्क में मूर्ति पर रिपेन्टिंग एवं मूर्ति के चारों ओर इन्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	7.17	1180.00	21,600.00	02 माह	90 दिन
11	आई0एस0बी0टी0 स्थित मुस्कान होटल से अजबपुर डिवाईडर पर उद्यानीकरण के तहत पूर्व में लगी रेलिंग पर पेन्टिंग एवं मरम्मत आदि का कार्य।	22.78	2360.00	68500.00	02 माह	90 दिन
12	कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में बैन्चों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य	21.01	2360.00	63100.00	01 माह	90 दिन
13	धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बैन्चों की आपूर्ति	23.90	2360.00	71,700.00	02 माह	90 दिन

	एवं फिविसंग का कार्य।					
14	राज राजेश्वरी विहार पुरातन शिव मन्दिर के परागण में म्यूरल से सम्बन्धित कार्य।	24.50	2360.00	73,500.00	02 माह	90 दिन
15	देहरादून शहर के विभिन्न फाउण्टेनों पर लाईट से सम्बन्धित कार्य।	10.51	1770.00	31,600.00	02 माह	90 दिन
16	वार्ड नं० 47 एम०डी०डी०ए० चन्दर रोड़ के पुल पर उद्यानीकरण के तहत आरबोरीकल्चर का कार्य।	20.49	2360.00	61,500.00	02 माह	90 दिन

कमाक 01 से 13 तक की शर्तें निम्न होगी:-

- 1-फर्म के पास उद्यानीकरण के तहत आरबोरीकल्चर/लैण्डस्केपिंग(पार्क Development/हार्टीकल्चर) के कार्य का किसी भी सरकारी संस्थानों/भारत सरकार/राज्य/निगमों/प्राधिकरणों का वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूर्व पिछले 03 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25), में निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी०एस०टी०) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा। गतिमान कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा।
- 2-फर्म के पास उद्यानीकरण से सम्बन्धित रखरखाव के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
- 3-जी०एस०टी० का वैध रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 4-पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 5-धरोहर धनराशि हेतु निर्धारित धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र,एफ०डी०आर० जो कि अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो, प्रस्तुत करना होगा।
- 6-ठेकेदार/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धि शपथ पत्र रु० 100.00 के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
- 7-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की आई०टी०आर० प्रस्तुत करनी होगी।
- 8-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की Balance Sheet प्रस्तुत करनी होगी।
- 9-निविदादाताओं द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट (डी०डी० सचिव,,) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में तथा निर्धारित धरोहर राशि की एफ०डी०आर० की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक ~~10-9-25~~ को अपराह्न 2:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई-टेंडर वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 10-निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रु०-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।
- 11-निविदादाता को निविदा लागत के पिछले 03 वित्तीय वर्षों में निविदा लागत का 100 प्रतिशत टर्नओवर किया हो, तथा टर्नओवर इत्यादि पर यू०डी०आई०एन० अंकित होना अनिवार्य है, इत्यादि पर यू०डी०आई०एन० अंकित न होने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 12-निविदादाता को निविदा मूल्य की डी०डी० व धरोहर राशि की एफ०डी०आर० सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 13-उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निहित है।
- 14-समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 15-लिटिकेशन की सूचना, निविदा समिति के निर्णय नो क्लेम व No Dues के सम्बन्ध में रु० 100 के स्टाम्प पेपर पर एवं रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 16-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 17-गतिमान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 18-यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को करने में असफल रहता है अथवा अनावश्यक विलम्ब करता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
- 19-निविदा दाता को District Magistrate निर्गत निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का Bank Solvency Certificate प्रस्तुत करना होगा। दाताओं की निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20-जिन-2 निविदा दाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा उनको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है

कि जितने भी अभिलेख शर्तों के अनुसार मांगे गये हैं उतने ही अभिलेख निविदा में अपलोड किये जाये
इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख निविदा में न अपलोड किये जाये ।

21-कमाक संख्या 12 व 13 के लिए फर्म के पास उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंचों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग से
सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है ।

कमाक 14 की शर्त निम्न है:-

- 1-फर्म के पास म्यूरल लगाने से सम्बन्धित के कार्य का किसी भी सरकारी सांस्थानों/भारत सरकार/राज्य/निगमो/प्राधिकरणों का वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूर्व पिछले 03 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25), में निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा। गतिमान कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा ।
- 2-जी0एस0टी0 का वैध रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 3-पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 4-धरोहर धनराशि हेतु निर्धारित धनराशि राष्ट्रिय बचत पत्र,एफ0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो, प्रस्तुत करना होगा।
- 5-ठेकेदार/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धि शपथ पत्र रु0 100.00 के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
- 6-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की आई0टी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।
- 7-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की Balance Sheet प्रस्तुत करनी होगी।
- 8-निविदादाताओं द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट (डी0डी0 सचिव,,) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में तथा निर्धारित धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 18-9-2025 को अपराह्न 2:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई-टण्डर वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 9-निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रु0-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।
- 10-निविदादाता को निविदा लागत के पिछले 03 वित्तीय वर्षों में निविदा लागत का 100 प्रतिशत टर्नओवर किया हो, तथा टर्नओवर इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित होना अनिवार्य है, इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित न होने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 11-निविदादाता को निविदा मूल्य की डी0डी0 व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 12-उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निहित है।
- 13-समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 14-लिटिकेशन की सूचना, निविदा समिति के निर्णय नो क्लेम व No Dues के सम्बन्ध में रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर एवं रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 16-गतिमान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 17-यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को करने में असफल रहता है अथवा अनावश्यक विलम्ब करता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
- 18-निविदा दाता को District Magistrate निर्गत निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का Bank Solvency Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- 19-जिन-2 निविदा दाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा उनको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि जितने भी अभिलेख शर्तों के अनुसार मांगे गये हैं उतने ही अभिलेख निविदा में अपलोड किये जाये इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख निविदा में न अपलोड किये जाये ।

कमाक 15 की शर्तें निम्न हैं:-

- 1-फर्म के पास फाउन्टेन पर विद्युतीकरण से सम्बन्धित के कार्य का किसी भी सरकारी सांस्थानों/भारत सरकार/राज्य/निगमो/प्राधिकरणों का वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूर्व पिछले 03 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25), में निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा। गतिमान कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा।
- 2-जी0एस0टी0 का वैध रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 3-पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 4-धरोहर धनराशि हेतु निर्धारित धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र, एफ0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो, प्रस्तुत करना होगा।
- 5-ठेकेदार/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धि शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
- 6-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की आई0टी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।
- 7-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की Balance Sheet प्रस्तुत करनी होगी।
- 8-निविदादाताओं द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट (डी0डी0 सचिव,,) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में तथा निर्धारित धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 18-9-2025 को अपरान्ह 2:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई-टेंडर वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 9-निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रू0-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।
- 10-निविदादाता को निविदा लागत के पिछले 03 वित्तीय वर्षों में निविदा लागत का 100 प्रतिशत टर्नओवर किया हो, तथा टर्नओवर इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित होना अनिवार्य है, इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित न होने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 11-निविदादाता को निविदा मूल्य की डी0डी0 व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 12-उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निहित है।
- 13-समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 14-लिटिकेशन की सूचना, निविदा समिति के निर्णय नो क्लेम व No Dues के सम्बन्ध में रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर एवं रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 16-गतिमान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 17-यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को करने में असफल रहता है अथवा अनावश्यक विलम्ब करता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
- 18-निविदा दाता को District Magistrate निर्गत निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का Bank Solvency Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- 19-जिन-2 निविदा दाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा उनको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि जितने भी अभिलेख शर्तों के अनुसार मांगे गये हैं उतने ही अभिलेख निविदा में अपलोड किये जाये इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख निविदा में न अपलोड किये जाये।

कमाक 16 की शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1-फर्म के पास सौन्दर्यीकरण के तहत सुदृढीकरण के कार्य का किसी भी सरकारी संस्थानों/भारत सरकार/राज्य/निगमो/प्राधिकरणों का वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूर्व पिछले 03 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25), में निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा। गतिमान कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा।
- 2-जी0एस0टी0 का वैध रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 3-पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- 4-धरोहर धनराशि हेतु निर्धारित धनराशि राष्ट्रिय बचत पत्र, एफ0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो, प्रस्तुत करना होगा।
 - 5-ठेकेदार/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र के साथ जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धि शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
 - 6-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की आई0टी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।
 - 7-फर्म को वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की Balance Sheet प्रस्तुत करनी होगी।
 - 8-निविदादाताओं द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट (डी0डी0 सचिव,,) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में तथा निर्धारित धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 18-9-2025 को अपरान्ह 2:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई-टेंडर वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।
 - 9-निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रू0-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।
 - 10-निविदादाता को निविदा लागत के पिछले 03 वित्तीय वर्षों में निविदा लागत का 100 प्रतिशत टर्नओवर किया हो, तथा टर्नओवर इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित होना अनिवार्य है, इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित न होने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
 - 11-निविदादाता को निविदा मूल्य की डी0डी0 व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।
 - 12-उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निहित है।
 - 13-समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
 - 14-लिटिकेशन की सूचना, निविदा समिति के निर्णय नो क्लेम व No Dues के सम्बन्ध में रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर एवं रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 15-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 16-गतिमान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - 17-यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को करने में असफल रहता है अथवा अनावश्यक विलम्ब करता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।
 - 18-निविदा दाता को District Magistrate निर्गत निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा निविदा लागत का 25 प्रतिशत धनराशि का Bank Solvency Certificate प्रस्तुत करना होगा।
 - 19-जिन-2 निविदा दाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा उनको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि जितने भी अभिलेख शर्तों के अनुसार मांगे गये हैं उतने ही अभिलेख निविदा में अपलोड किये जाये इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख निविदा में न अपलोड किये जाये।
- नोट:-जिस किसी भी निविदा दाता के पक्ष में उपरोक्त कार्य आवंटित किया जायेगा उससे 2 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर राशि प्राप्त की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि :-

- 1-उपाध्यक्ष म0दे0वि0प्राधि0 देहरादून।
- 2-सचिव, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 3-मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग/आयुक्त/सी0डी0ओ0 के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाज़िर म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित कि व दैनिक समाचार पत्र राजकीय संस्करण में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 6-आई0टी0अनुभाग को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
- 7-प्राधिकरण बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।